

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2888]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2016/अग्रहायण 16, 1938

No. 28881

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2016/AGRAHAYANA 16, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3676 (अ).-कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 2013 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 434 की उपधारा (1) के खंड (ग) में प्रावधान में यह उपबंधित है कि उस तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा लंबित कार्यवाहियों के अंतरण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, कंपनी अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1956 का अधिनियम कहा गया है) के अधीन किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष उस तारीख से ठीक पहले लंबित सभी कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत मध्यस्थता, समझौते, ठहराव और कंपनियों के पुनर्निर्माण तथा समापन से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी और अधिकरण ऐसी कार्यवाहियों पर उनके अंतरण से पहले के प्रक्रम से कार्रवाई कर सकेगा;

और उसके परंतुक यह और उपबंधित है कि कंपनियों के समापन से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाहियां अधिकरण को उस प्रक्रम पर अंतरित की जाएंगी जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए:

और 2013 के अधिनियम की धारा 434 की उपधारा (1) के खंड (ग) दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 से प्रवृत्त होगी;

और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 6 से धारा 32, धारा 60 से धारा 67 के उपबंध 01 दिसम्बर, 2016 से प्रवृत्त हो गए हैं और इस संहिता की धारा 33 से धारा 54 और 2013 के अधिनियम के अध्याय-15 और अध्याय-20 के उपबंध 15 दिसम्बर, 2016 से प्रवृत्त करने के लिए अधिसुचित किए जाएंगे;

5642 GI/2016 (1)

और यह विनिश्चय किया गया है कि (i) 1956 के अधिनियम के अधीन 15 दिसम्बर, 2016 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन संबंधी मामलों से भिन्न सभी मामले क्रमश: उस क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाली अधिकरण की उन न्यायपीठों को अंतरित हो जाएंगे और (ii) 1956 के अधिनियम के अधीन समापन संबंधी ऐसे सभी मामले जो 15 दिसम्बर, 2016 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और जिनमें कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 26 के अनुसार प्रत्यर्थियों पर याचिकाओं की तामीन नहीं की गई हैं, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे तथा उस तारीख को लंबित समापन के सभी शेष मामले संबंधित उच्च न्यायालयों में जारी रहेंगे;

और 1956 के अधिनियम के उपबंधों को, (i) समापन से भिन्न उन मामलों से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए जो मंजूर करने या अन्यथा आदेशों के लिए आरक्षित हैं और (ii) ऐसे समापन के मामले जो अधिकरण को अंतरित नहीं किए गए हैं और जिन पर 2013 के अधिनियम के अधीन या इस संहिता के अधीन तत्स्थानी उपबंधों के प्रारंभ के कारण उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जारी रखने के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं;

और समापन से भिन्न अन्य मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के अंतरण के संबंध में भी किठनाइयां उत्पन्न हुई है, जहां सुनवाई पूरी हो गई है और केवल आदेश की घोषणा लंबित है या आरक्षित है, क्योंकि इनमें अधिकरण को अंतरित करने के परिणामस्वरूप विलंब हो सकता है और इसका कार्यवाही के पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त उक्त कथित कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) चौथा आदेश, 2016 है।
- (2) यह आदेश 15 दिसम्बर, 2016 से प्रवृत्त होगा।
- 2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि समापन से भिन्न अन्य मामलों से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाहियां जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों को मंजूर करने या अन्यथा के लिए आदेश आरक्षित न किया गया हो, अधिकरण को अंतरित हो जाएंगी:

परंतु यह भी कि –

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनियों के समापन से संबंधी मामलों से भिन्न सभी कार्यवाहियों जो ऐसी कार्यवाहियों को मंजूर किए जाने या अन्यथा आदेश हेतु आरक्षित हैं, से संबंधित सभी कार्यवाही; या
- (ii) कंपनियों के समापन से संबंधित ऐसी कार्यवाहियों पर, जो उच्च न्यायालय से अंतरित नहीं की गई है; कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। "

[फा.सं.16/61/2016-विधायी]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 7th December, 2016

S.O. 3676(E).—Whereas clause (c) of sub-section (1) of section 434 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the 2013 Act) provides that on a date which may be notified by the Central Government for the purpose of transfer of pending proceedings, all proceedings under the Companies Act, 1956 (hereinafter referred to as the 1956 Act) including proceedings relating to arbitration, compromise, arrangements and reconstruction and winding up of companies, pending immediately before such date before any District Court or High Court, shall stand transferred to the Tribunal and the Tribunal may proceed to deal with such proceedings from the stage before their transfer;

And, whereas, the proviso thereof further provides that only such proceedings relating to the winding up of companies shall be transferred to the Tribunal that are at a stage as may be prescribed by the Central Government;

And, whereas, clause (c) of sub-section (1) of section 434 of the 2013 Act shall come into force from the 15th December, 2016;

And, whereas, provisions of sections 6 to 32, 60 to 67 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (hereinafter referred to as the Code) have been brought into force on 1st December, 2016 and sections 33 to 54 of the Code and the provisions of Chapter XV and Chapter XX of the 2013 Act shall be notified to come into force from 15th December, 2016:

And, whereas, it has been decided that (i) proceedings under the 1956 Act with High Courts on all cases other than winding-up as on 15th December, 2016 shall stand transferred to the Benches of the Tribunals exercising respective territorial jurisdiction and (ii) all cases of winding up under the 1956 Act which are pending before the High Courts as on 15th December, 2016 and wherein petitions have not been served to the respondents as per rule 26 of Companies (Court) Rules, 1959 shall be transferred to Tribunal, and all remaining cases of winding up pending on that date would continue with the respective High Courts;

And, whereas, difficulties have arisen regarding continuation of provisions of the 1956 Act for (i) those proceedings relating to cases other than winding-up that are reserved for orders for allowing or otherwise and (ii) those winding up cases which would not be transferred to Tribunal and be proceeded with by High Courts on account of commencement of the corresponding provisions under the 2013 Act or under the Code;

And, whereas, difficulties have also arisen regarding transfer of proceedings relating to cases other than winding-up where hearings have been completed and only pronouncement of order is pending or is reserved since their transfer to Tribunal may result into delay and rights of parties to the proceedings are likely to be affected prejudicially;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Fourth Order. 2016.
- (2) It shall come into force with effect from the 15th December, 2016.
- 2. In the Companies Act, 2013, in Section 434, in sub-section (1), in clause (c), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-
- "Provided further that only such proceedings relating to cases other than winding-up, for which orders for allowing or otherwise of the proceedings are not reserved by the High Courts shall be transferred to the Tribunal:

 Provided further that
 - (i) all proceedings under the Companies Act, 1956 other than the cases relating to winding up of companies that are reserved for orders for allowing or otherwise such proceedings; or
 - (ii) the proceedings relating to winding up of companies which have not been transferred from the High Courts;

shall be dealt with in accordance with provisions of the Companies Act, 1956 and the Companies (Court) Rules, 1959".

[F. No. 16/61/2016-Legal]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.